वित्त निर्देश- 38/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 268 /216/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 11.09.2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-**छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2007, चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्वि ।**

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्य तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दंत शल्य चिकित्सक जिनकी वर्तमान में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है, में वृद्वि कर दिनांक 1.4.2007 से 62 वर्ष करने का तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के सदस्य (सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दंत शल्य चिकित्सक को छोड़कर) जिनकी वर्तमान में अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष है में वृद्वि कर दिनांक 1.4.2007 से 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है ।

2. उपरोक्त प्रयोजन के लिये ''छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्य'' तथा ''छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी)(राजपत्रित) सेवा के सदस्य'' से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में की गई है और इसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो

और जिसने कम से कम बीस वर्षो तक चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा अथवा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी)(राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो । ''छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के सदस्य'' से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते है और उसमें ऐसा चिकित्सा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित चिकित्सा शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो ।

3. तदनुसार छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 द्वारा मूल नियम 56 में आवश्यक संशोधन किया गया है । यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) (क्रमांक 5 सन् 2007) दिनांक 10.9.2007 में प्रकाशित किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है । छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 दिनांक 1.4.2007 से प्रभावशील होगा । इस प्रकार माह अप्रेल 2007 में 60 वर्ष या 62 वर्ष (जैसी भी स्थिति हो) की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा, परंतु दिनांक 1.4.2007 और इस अध्यादेश की प्रकाशन की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान (चिकित्सक अथवा चिकित्सा शिक्षक की) मृत्यु होने पर इस अध्यादेश का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

4. ऐसे चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक जो दिनांक 1.4.2007 और इस अध्यादेश के प्रकाशन की तारीख के बीच पूर्व नियमों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी आगामी कर्त्तव्य अवधि उनके शासकीय सेवा में पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि से गिनी जावेगी । समस्त लौटाये जाने वाले स्वत्वों के शासकीय खजाने में जमा करने के बाद ही पुनः कार्यग्रहण की पात्रता होगी । उनकी सेवानिवृत्ति एवं पुनः कार्यग्रहण की अवधि के बीच के व्यवधान का निराकरण तथा सेवानिवृत्ति पर भुगतान किये गये स्वत्वों एवं नवीन पदस्थापना का निराकरण निम्नानुसार किया जाएगा -

1. सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनः कार्यग्रहण की तिथि तक की व्यवधान अवधि के निराकरण हेतु शासकीय सेवक के निवेदन पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसके खाते में जमा अवकाश अथवा अन्य अवकाश न होने पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।
2. शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति पश्चात यदि पेंशन/उपदान अथवा पूर्वानुमानित पेंशन/उपदान का भुगतान कर दिया गया हो तो ऐसे भुगतान की संपूर्ण राशि एकमुश्त में पेंशन मद (मुख्य शीर्ष 0071) में जमा करते हुए कोषालय अधिकारी से प्रमाणित चालान की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

3. यदि अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो कार्यग्रहण के पूर्व भुगतान की गई संपूर्ण राशि एकमुश्त में शासकीय खजाने में वापस जमा करना आवश्यक होगा तथा उक्त अवकाश को अवकाश खाते में पुनः जमा दिखाया जायेगा ।

4. शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्ति के समय समूह बीमा योजना के सदस्य थे, को यदि समूह बीमा योजना के बचत निधि में जमा राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो पुनः कार्यग्रहण के पूर्व भुगतान की गई संपूर्ण राशि व्यवधान अवधि के अंशदान सहित मुख्य शीर्ष 8011 समूह बीमा योजना में जमा करना होगा तथा योजना यथावत् लागू रहेगी । किन्तु ऐसे व्यक्तियों की परिवार कल्याण निधि में जमा राशि का यदि भुगतान कर दिया गया हो तो उसे वापस जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।

5. ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के समय परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य थे तथा उन्हें नियमानुसार योजना की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो भुगतान की गई संपूर्ण राशि संबंधित शीर्ष 8342 परिवार कल्याण निधि में वापस जमा करना होगा तथा योजना यथावत् लागू रहेगी ।

6. शासकीय सेवक द्वारा यदि सेवानिवृत्ति पर गृह नगर जाने हेतु यात्रा भत्ते का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है तो उक्त राशि उसके द्वारा शासकीय कोष में वापस किया जायेगा किन्तु यदि वह राशि वापस जमा नहीं करना चाहता है तो उससे इस बाबत् एक लिखित घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उसे सेवानिवृत्ति पर या सेवा अवधि में उसकी मृत्यु होने पर परिवार को गृह नगर की यात्रा हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी । यह घोषणा पत्र उसकी व्यक्तिगत नस्ती में रखा जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में भी की जायेगी ।

7. यदि सेवानिवृत्ति पर शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि की राशि का अंतिम भुगतान कर दिया गया है तो उसे भुगतान की गई समग्र राशि एकमुश्त शासन के लोक लेखा में शीर्ष 8009 में वापस जमा करना होगा तथा महालेखाकार को उक्त शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि खाते को पुनः चालू करने हेतु निवेदन करना होगा ।

8. सामान्यतः शासकीय सेवक को वह जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ है उसी पद पर कार्यग्रहण करना होगा किन्तु यदि वह पद रिक्त न हो तो किसी भी समान रिक्त पद पर उसे पदस्थापित किया जायेगा ।

9. यदि शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति से संवर्ग में रिक्त हुए पद पर किसी अन्य शासकीय सेवक को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नियुक्त किया गया हो तथा संवर्ग में कोई समान पद रिक्त न हो तो उस पद पर कार्यरत व्यक्ति को हटाया नहीं जायेगा वरन् सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए संवर्ग में एक सांख्येतर पद निर्मित किया जाकर उसे उस पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा संवर्ग में कोई भी समान पद रिक्त होने पर उसे उस पद के विरूद्व समायोजित किया जायेगा ।

5. ऐसे शासकीय सेवक जो इस आदेश के लागू होने की तिथि अर्थात 1.4.2007 पर सेवावृद्वि, पुनःनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति पर हैं उनके मामलों में यह आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि वे इस संशोधन के पूर्व विद्यमान नियमों/निर्देशों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 269/वित्त/नियम/चार/07, दिनांक 11.09.2007

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड.शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर

रायपुर दिनांक 10.09.2007

:: प्रमाण पत्र ::

भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007), एतद्द्वारा, सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता0

(टी.पी.शर्मा)

प्रमुख सचिव,

छ.ग.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

मंत्रालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 5 सन् 2007)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2007.

भारत गणराज्य के अन्ठावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत: राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें ;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1 (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी -आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 है,

(2) यह **1 अप्रेल, 2007** से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2 इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम 1967(क्रमांक 29, सन् 1967) (जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है)धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्याधीन रहते हुए प्रभावी होगा ।

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल नियम (फंडामेंटल रूल्स) 56 का संशोधन

3 मूल अधिनियम की धारा 2 में, फंडामेंटल रूल्स-56 में,-

(एक) उपनियम (1) में, शब्द ''शासकीय शिक्षक और चतुर्थ वर्ग के शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक'' के स्थान पर, शब्द ''शासकीय शिक्षक, चतुर्थ वर्ग के शासकीय सेवक, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित)सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त हुआ हो, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी)(राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा

पद्वति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त हुआ हो तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ हो, से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक''स्थापित किये जायें;

(दो) उप नियम (1-क) में, स्पष्टीकरण में, शब्द '' या चिकित्सा '' और त्रियक (अवलीक) चिन्ह तथा शब्द '' चिकित्सा '' का लोप किया जाए;

(तीन) उप नियम (1-ख) के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किये जायें, अर्थात :-

'' (1-ग) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, उस मास के, जिसमे वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें अंतिम दिन के अपरान्ह: में सेवानिवृत्त हो जायेगा :

परंतु छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी)(राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी)(राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह: में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिये '' छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य'' तथा ''छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी)(राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य'' से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में की गई है और इसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जिसने कम से कम बीस वर्षो तक चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा अथवा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी)(राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो ।

(1-घ) उप नियम (2) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर) उस मास के, जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का कोई सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय का सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक, उस मास के, जिसमें वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा और यदि उसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो तो पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा:

परन्तु यह और कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर) जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा ।

परंतु यह और भी कि 01 अप्रेल, 2007 और इस अध्यादेश की प्रकाशन की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान (चिकित्सक अथवा चिकित्सा शिक्षक की) मृत्यु होने पर इस अध्यादेश का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिये '' छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य '' से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते है और उसमें ऐसा चिकित्सा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित चिकित्सा शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो ।''

राज्यपाल
छत्तीसगढ़

रायपुर :

तारीख :.....2007

CHHATTISGARH ORDINANCE

(No. of 2007)

THE CHHATTISGARH SHASKIYA SEVEK (ADHIVARSHIKI -AYU) (SANSHODHAN) ORDINANCE, 2007.

Promulgated by the Governor in the Fifty-eighth year of Republic of India.

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki -Ayu) Adhiniyam, 1967.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and Commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki - Ayu) (Sanshodhan) Ordinance, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on the **1st day of April, 2007.**

Chhattisgarh A No.29 of 1967 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No.29 of 1967) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in Section 3.

3. In Section 2 of the Principal Act, in Rule 56 of the Fundamental Rules:-

Amendment of Fundamental Rule 56 as substituted by section 2 of the Chhattisgarh A No.29 of 1967.

(i) In sub-rule (1), for the words "every Government servant other than a Government Teached and a Class IV Government Servant. The words "every Government Servant other than a Government Teacher, a class IV Government Servant, every member of the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service appointed to a medicial post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare(Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988, every member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Hoemopathy) (Gazetted) service appointed to a Medical post maintained in Schedule -I to the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of medicine and Homeopathy) Recruitment Rules, 1987 and every member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service appointed to a medical teacher post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987" shall be substituted.

(ii) In sub rules (1-a), in explanation, the words "or medial", and the oblique mark and word "Medical" shall be omitted.

(iii) After sub-rule (1-b), the following shall be inserted, namely;-

"(1-c) Subject to the provisions of sub-rule (2), every member of the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service appointed to a medical medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988 and every member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of medicine and Homeopathy) (Gazetted) service appointed to a medical post mentioned in Schedule -I to the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) Recruitment Rules, 1987 shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 62 years:

Provided that a member of the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service appointed to a medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988 and a member of the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of medicine and Homeopathy) (Gazetted) service appointed to a medical post mentioned in Schedule-I to the Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of Medicine and Homeopathy) Recruitment Rules, 1987 whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty two years.

Explanation:- for the purpose of this sub-rule " a member of the Chhattisgarh Public Health & Family Welfare (Gazetted) service" and "Chhattisgarh Public Health (Indian systems of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) service" means a Government servant by whatever designation called, appointed as Medical Officer or Specialist in accordance with the requirement rules and shall also include such Medical Officer or Specialist who is appointed to a administrative post by promotion or otherwise and who has served as Medical Officer or Specialist for not less than twenty years provided he holds a lien on a post in concerned Chhattisgarh Public Health & Family Welfare (Gazetted) service or Chhattisgarh Public Health (Indian Systems of medicine and Homeopathy)(Gazetted) service.

1(d) Subject to the provisions of sub rules (2), a member of the

Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service (excluding General Duty Medical Officer, Assistant Superintendent of Teaching Hospital and Dental Surgeon) appointed to a medical teacher post mentioned in Scheduled-I to the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) service Recruitment Rules, 1987 shall retire from service on the after noon of the last day of month in which he attains the age of sixty five years:

Provided the General Duty Medical Officer, Assistant Superintendent of Teaching Hospital and Dental Surgeon of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) service shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty two years and if their date of birth is the first of a month then they shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty two years:

Provided further that a member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service (excluding General Duty Medical Officer, Assistant Superintendent of Teaching Hospital and Dental Surgeon) appointed to a medical teacher post mentioned in Scheduled-I to the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) service Recruitment Rules, 1987 whose date of birth in the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty five years.

Provided further that the benefit of this ordinance shall not be available in case of death (Doctor or Medical teachers) occurred during the period in between 1st April 2007 and date of publication of this ordinance.

Explanation:- For the purpose of this sub-rule " a member of the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) service" means a Government servant by whatever designation called, appointed for the purpose of teaching in Government Medical College, in accordance with the recruitment rule applicable to such appointment and shall also include the medical teacher who is appointed to an administrative post by promotion or otherwise and who has been engaged in teaching for not less than twenty years provided he holds a lien on a post in concerned Medical Education Service."

Raipur.
Dated:

GOVERNOR
CHHATTISGARH